बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

सोमवार, तिथि ७ नवम्बर, १९६०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में तिथि ७ नवम्बर १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री दीप नारायण सिंह—महोदय, मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के सप्तम् सत्र (फरवरी—जून, १९६०) के शेष १७०३ अनागत प्रश्नों में से २५६ प्रश्नों का उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ। शेष प्रश्नों का उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

सूची।

क्रम सं०।	सदस्यों का नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री शुभ नारायण प्रसाद	२०
२	श्री बिपिन बिहारी सिंह	४५, १०६६, १२७८, १९२८, २९५४
३	श्री बद्री सिंह	११८, ७०५, ११३४, ११३५, १८६१, ३१५८।
४	श्री कार्यानन्द शर्मा	१३१, ८८५, ९४१, १०१२, ११६४
५	श्री सभापति सिंह	२११, ९४९, ११७२, १६२१, २७७३, २९६४।
६	श्री चन्दू राम	२१३, ५३०, १६३६
७	श्री रामचरण किस्कू	२१४, १७७३, २३१०
८	श्री फिदा सैन	२१५, १७४५, २५९२
९	श्री शीतल प्रसाद भगत	२१६, २६००
१०	श्री देवनन्दन प्रसाद	२१७, ८३७, २४३८, २५८२
११	श्री लखन लाल कपूर	२१८, ३४५, १७७६, २१६८
१२	श्री जवार हुसैन	२३९

मनेर में प्रसूति एवं बच्चा कल्याण केन्द्र की स्थापना।

२३२८। श्री नन्दकिशोर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मनेर थाने की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मनेर ग्राम में Maternity and Child Welfare Centre खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीरचन्द पटेल—मनेर थाने की जनसंख्या सन् १९५१ के Census के अनुसार ९२,७८१ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५० M. C. H. Centres खुलने को थे और वे सभी खुल चुके। C. D. Blocks के Health Centres में M. C. H. Centres के काम होते हैं। अतएवं अब Independent M. C. H. Centres खोलने की कोई योजना सरकार के समक्ष नहीं है। मनेर में ज्योंहीं C. D. Block खुलेगा उसके Primary Health Centres तथा तीन उपकेन्द्रों में M. C. H. का काम Lady Health Visitor, Auxilliary Nurse, Midwife or trained Dai द्वारा होने लगेगा।

CONSTRUCTION OF THE GOVERNMENT TIBBI COLLEGE BUILDING.

2329. Shri S.M. Latifur Rahman—Will the Minister incharge Health Department be pleased to state whether it is a fact that construction of the proposed building of the Government Tibbi College, Patna was to be taken up during the Second Five-Year Plan, if so, when the work of the said construction will be taken up?

श्री वीरचन्द पटेल—यह बात सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजकीय तिब्बी कालेज, पटना के लिये भवन निर्माण की योजना थी। परन्तु इस योजना-अवधि के अन्दर यह योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी क्योंकि इसके लिये प्लान तथा एस्टिमेट बनवाने का प्रश्न अभी तक सरकार के विचाराधीन है। तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्तर्गत भवन बनाने के कार्य को आरम्भ किया जायगा।

दूध के पाउडर बेचने का कोटा।

२३३०। श्री राम जनम ओझा, श्री बिपिन बिहारी सिंह, श्री कपिलदेव सिंह—क्या मंत्री, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा दूध का पाउडर बेचने का कोटा पूर्णियां जिला अन्तर्गत ठाकुरगंज बाजार के किसी दूकानदार को दिया गया है, यदि हां, तो किस दूकानदार को दिया गया है;

(ख) कितने को कोटा दिया गया ;

(ग) कब दिया गया ;

(घ) किस नियम से बेचने का आदेश दिया गया और उस फर्म ने किस आधार पर बेचा ?

श्री वीरचन्द पटेल—उत्तर स्वीकारात्मक है।

(क) जिन खुदरा दूकानदार को दूध के पाउडर का कोटा दिया गया था उनका नाम सर्वश्री पन्ना लाल, किशन लाल, ठाकुरगंज, पूर्णिया है।

(ख) उन्हें पांच टन दूध के पाउडर का कोटा दिया गया था।

(ग) सरकार के परिपत्र सं० १४५७३एस०-सी०, दिनांक २६ सितम्बर, १९५९ द्वारा उन्हें दूध के पाउडर का कोटा दिया गया था। उन्होंने बिहार राज्य सहकारिता क्रय-विक्रय संघ लि०, पटना से ७ अक्तूबर, १९५९ को आवंटित कोटे का माल प्राप्त किया था और रेल द्वारा १९ नवम्बर १९५९ को यह माल ठाकुरगंज पहुंचा।

(घ) एलाटमेन्ट आर्डर प्राप्त करने एवं खुदरा विक्रेता द्वारा बिहार राज्य सहकारिता क्रय-विक्रय संघ लि०, पटना से ६९ नये पैसे प्रति पाउन्ड की थोक दर से कोटे का माल प्राप्त कर लेने के पश्चात् खुदरा विक्रेता को निम्नलिखित नियमों के अनुसार बेचने का आदेश दिया गया :—

(१) उन्हें जिलाधीश, पूर्णियां द्वारा निर्धारित ७४ नये पैसे की खुदरा दर से प्रत्येक उपभोक्ता को अधिक से अधिक १० पाउण्ड बेचने का आदेश था।

(२) उपभोक्ताओं को कशमेमों देंगे और प्रत्येक उपभोक्ता का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे ।

(३) जहां दूध के पाउडर की बिक्री होगी, वहां स्पष्ट रूप से साइनबोर्ड लगायेंगे कि यहां मिल्क पाउडर बिकता है।

(४) खुदरा विक्रेता स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम एवं अन्य जनसंस्था को निर्धारित खुदरा दर पर जिलाधीश के आदेशानुसार मिल्क पाउडर को थोक रूप से बेचेंगे ।

(५) खुदरा विक्रेता मिल्क पाउडर की विक्रय-लेखा वही इस प्रकार अध्यतन रूप से रखेंगे कि स्वयं जिलाधीश एवं अधिकृत प्रतिनिधि जांच कर सके ।

(६) खुदरा विक्रेता उपर्युक्त नियमों में से सबका या किसी एक नियम का उलंघन करेंगे तो दंड स्वरूप (बिना विपरीत प्रभाव डाले, अन्यान्य उपर्युक्त कार्रवाई जो उचित समझा जायगा) उनका कोटा रद्द कर दिया जायगा अथवा जब्त कर लिया जायगा। प्रेस विज्ञप्ति द्वारा उपभोक्ताओं को इस बात की छूट दी गयी कि वे किसी भी शिकायत की दशा में सरकार को या जिलाधीश को सूचना भेज सकते हैं।

ठाकुरगंज के खुदरा विक्रेता ने इन्हीं नियमों के अनुसार आवंटित कोटा का खुदरा विक्रय किया। १२ दिसम्बर १९५९ से ९ मार्च १९६० तक खुदरा विक्रेता ने पांच टन (अथवा ११,००० पाउण्ड) में से १०,६९५ पाउण्ड १,०७३ ठाकुरगंज एवं पोठिया अंचल के उपभोक्ताओं के हाथ १० पाउण्ड प्रति उपभोक्ता के अनुसार विक्रय किया।

माल क्षतिग्रस्त हो जाने की आशंका से जिलाधीश ने १० पाउण्ड विक्रय की परिमानिक रोक को उठा दी। इसके फलस्वरूप शेष ३०५ पाउण्ड दूध पाउडर खुदरा विक्रेता ने १० व्यक्तियों के हाथ बेच दिया।

जिलाधीश ने इनके दूध पाउडर के स्टॉक की जांच कराई और बिल्कुल ठीक पाया और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। जितने दिनों तक दूध के पाउडर की बिक्री होती रही, जिलाधीश को किसी तरह की शिकायत उपभोक्ताओं की नहीं मिली।

सरकारी गल्ले की दुकान को पर्याप्त अन्न।

2331. Shri RAMAKANT JHA : Will the Minister incharge Supply and Commerce Department be pleased to state—

(1) whether it is a fact that no grain exists in the Government Shop in the Chhotaipathi Gram Panchayat (Darbhanga) ;

(2) whether it is a fact that no grain was supplied to the people of the said Gram Panchayat even during last Holi Festival ;

(3) if the answer s to the above clauses be in the affirmative, do Government propose to provide encugh grain to the Government Shop in the said Gram Panchayat ?

श्री वीरचन्द पटेल—(१) यह बात सही नहीं है कि छोटाईपट्टी ग्राम पंचायत की

सरकारी दूकान में अनाज नहीं है। उस पंचायत की दूकान को दिनांक १२ मार्च १९६०, २५ मार्च १९६० और ८ अप्रील, १९६० को क्रमशः ७१ मन ७१मन तथा ९० मन गेहूँ दिया गया था।

(२) यह बात सही नहीं है कि होली त्योहार में जनता को अनाज नहीं दिया गया था। पंचायत के दूकान से दिनांक ८ मार्च १९६० से १८ अप्रील १९६० तक १,३५५ व्यक्तियों को नियमानुसार उचित अनाज दिया गया था।

(३) प्रखंड खंड (१) और (२) के समक्ष इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। सभी दूकानों को खपत तथा स्टॉक को ध्यान में रखकर बराबर नियमानुसार गल्ला दिये जाने का नियम है और इसी तरीके के सभी दूकानों की आपूर्त्ति की जा रही है।

CARTAGE OF GOVERNMENT GRAINS.

2332. Shri JADUNANDAN SAHAYA : Will the Minister incharge Supply Department be pleased to state—

(1) whether it is a fact that the District Magistrate of Darbhanga, Mr. P. S. Appu,, has reported to the Government against the grain stockist of Darbhanga Sadar Subdivision, who has fraudulently drawn to the tune of rupees two lacs as cartage of Government grains showing 32 miles mileage between Jhanjharpur Rly. Station to Ghanshyampur whereas the actual mileage should have been 19 miles ;

(2) if answer to the above clause be in the affirmative, the action taken by the Government ?